


तारीख  
हुवन

हुवन या कार्यवाही नय इतिरायत्त जज

28-3-23 पत्रावली पेश हुई वकील प्राधीभाग उपरिष्ठ विपक्षीय  
के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शा०  
पठ किये गये। विपक्षीय को कितनी तारकक कम कर  
आवापे दिलायी जाने उपरान्त भी उपरिष्ठ जटी इसके  
विक्रम एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया  
जाता है। वकील प्राधीभाग का प्रा० पत्र स्वीकार किया  
जाकर मिठिय भ्रमक से लिखा जाकर शा० पठ किया  
गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर नमनरसे कम  
हो।

  
उपखण्ड अधिकारी  
मांडल जिला भीलवाड़ा

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी-हुकमीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 10/25 प्रा०पत्र

1- श्री डगमलाल जी० श्री गैक गाडरी निवासी- पीथारा तहसील-माण्डल (वर्ग 1)

-प्रार्थी

बनाम

1- श्री कन्हैयालाल जी० श्री रतनलाल कुम्हार निवासी-पीथारा तहसील-माण्डल (वर्ग 1)  
(संबंधित प्रा०पत्र संख्या)

-विपक्षीयण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक- 28-03-23

::आदेशः

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पीथारा पटवार हल्का मीथारा तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं० 1873, 1873/1, 1874, 1879 कुल कित्ता 0.4 रकबा 1-1507 हेक्टेयर स्थित है। चादग्रस्त भूमि के विपक्षीयण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह 1879 होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की परगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 15-01-23 को पंजीकृत किया जाकर प्रकरण को अयलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि चादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे कारत फाशत की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेशः

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम पीथारा पटवार हल्का मीथारा तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं० 1873, 1873/1, 1879, 1879 कुल कित्ता 0.4 रकबा 1-1507 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अगिलेख निरीक्षक मीथारा को 500/- रुपये / - कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरण की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील चिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाड़ा